इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 16, अंक 2

अप्रैल से जून 2009

यह अंक

पंद्रहवीं लोकसभा और महिलायें

प्रशांत जैन

हम सूचना बांटना नहीं चाहते

बाल मुकुंद

आईएसएसटी गतिविधियां

संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की बात को एक अरसा हो गया। आज तक उस पर राजनैतिक पार्टियों की सहमति नहीं बन पायी है। आरक्षण की बात तो बहुत दूर की है, महिलाओं को टिकिट देने में भी राजनैतिक पार्टियां बहुत आनाकानी करती हैं। फिर भी पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने अपने बलबूते पर लगभग दस प्रतिशत सीटें जीती हैं। लोकसभा में पहुंची ये दस प्रतिशत महिलायें ही इस संख्या को 33 प्रतिशत तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगी, ऐसी उम्मीद है।

महिलाओं की इस उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं – प्रशांत जैन।

सूचना का अधिकार कानून 2005 के लागू होने पर जितनी आशा थी, उस कानून का उपयोग करने पर उतनी ही निराशा हाथ लगी है। यदि केवल कानून बनने से ही कोई चीज आसान हो सकती है, तो हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी–मोटी चीजों के लिए लोगों को इतने धक्के खाने पड़ते हैं, तो गांव की तो बात ही छोड़िए। जरूरी है कानून बनाने के साथ सूचना देने की संस्कृति विकसित करने की। इसे बता रहे हैं– बाल मुकुंद।

इसके साथ ही प्रस्तुत है आईएसएसटी में चल रहे कामों की एक झलक।

केवल निजी वितरण के लिए

पंद्रहवी लोकसभा और महिलायें

प्रशांत जैन

पंद्रहवीं लोक सभा में हाफ सेंचुरी लगाकर महिला सांसदों ने जबर्दस्त उपलब्धि हासिल की है। आजादी के बाद यह पहला ऐसा आम चुनाव है, जिसमें महिलाएं इतनी मजबूत होकर उभरी हैं। प्रस्तुत है उनकी उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट।

आखिरकार महिलाओं ने वह करिश्मा कर ही दिखाया, जिसका उन्हें पिछले 14 लोक सभा चुनावों से इंतजार था। इस बार महिला सांसदों ने लोकसभा में सीटों की हाफ सेंचुरी लगाई है। महिलाओं ने इस बार 51 लोकसभा सीटें जीती हैं। वैसे तो, यह संख्या अभी भी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का 10 प्रतिशत नहीं है, इसके बाद भी लोकसभा में 50 सीटों पर कब्जे का अपना महत्त्व है।

पूरा होगा सपना ?

लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है और यूपीए सरकार बहुमत के लिहाज से मजबूत स्थिति में है। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार पर काफी दबाव रहेगा कि 2004 से अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में शामिल वुमन रिजर्वेशन बिल को पारित करने का वादा पूरा करें। संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात एक जमाने से हो रही है, लेकिन तमाम वादों के बाद अभी तक उसे अंजाम नहीं दिया गया है। वास्तविकता यह है कि अभी तक इस मुद्दे पर राजनैतिक पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। वैसे, संसद में रिजर्वेशन देने की बात तो बहुत दूर है, अभी तो पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में ही काफी कंजूसी बरत रही हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस बार कुल 4668 पुरुष प्रत्याशियों के मुकाबले सिर्फ 442 महिलाओं को टिकट मिला। बात अगर सात राष्ट्रीय पार्टियों की करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 117 महिलाओं का है। खैर, संसद में हाफ सेंचुरी लगाने वाली महिला सांसदों से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकसभा में आधी दुनिया की संख्या को 10 से 33 प्रतिशत तक ले जाने के लिए आवाज बुलंद करेंगी।

किंग भी किंगमेकर भी

चुनाव से पहले किंग और किंगमेकर के लिए तमाम पुरुषों के साथ सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी का भी नाम लिया जा रहा था। हालांकि जयललिता और मायावती उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी तो किंगमेकर बन ही गईं। बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस अगर इस बार अपने बूते 200 से ज्यादा सीटें पाने में कामयाब हुई है, तो इसका श्रेय सोनिया को ही जाता है। दूसरी ओर वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंगाल में ममता की सफलता प्रशंसनीय है। अपने दम पर नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक की लड़ाई लड़ने वाली ममता ने वामपंथियों को करारी चोट पहुंचाई है।

बनाई है पहचान

सच तो यह है कि भारतीय महिलाएं राजनीति में बेहद सफल रही हैं। अगर वर्तमान की बात करें, तो जिन महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिला, उन्होंने यहां काफी तेजी से तरक्की की है। फिर चाहे बीजेपी की सीनियर नेता सुषमा स्वराज हों या फिर लगातार सात बार एक सीट से चुनाव जीतने वाली महिला सांसद का रिकॉर्ड बनाने वाली सुमित्रा महाजन। सभी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मीरा कुमार, मेनका गांधी और कुमारी शैलजा की गिनती भी जुझारू महिला सांसदों के तौर पर की जाती है। जयाप्रदा ने तो आजम खान की तमाम कोशिशों को बेअसर करके रामपुर की सीट जीत कर खुद को साबित किया है।

बेटियों ने संभाली विरासत

अगर जवाहर लाल नेहरू को छोड़ दिया जाए, तो आमतौर पर राजनेता अपने बेटों को ही अपनी विरासत सौंपते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बेटियां भी अपने पिता की विरासत संभालने लगी हैं। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, एनसीपी नेता पी.ए. संगमा की बेटी सांसद अगाथा संगमा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, करुणानिधि की बेटी कनी मोझी का नाम इस

मामले में विशेष रूप से लिया जा सकता है। अगर बात प्रियंका गांधी की न की जाए, तो यह जिक्र कुछ अधूरा रहेगा। प्रियंका भले ही सक्रिय राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस कुशलता से उन्होंने अपनी मां और भाई की लोकसभा सीटों पर प्रचार का जिम्मा संभाला, उसे देखते कहा जा सकता है कि प्रियंका भी अपने पिता की विरासत संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अभी तक लोकसभा में प्रदर्शन

वर्ष	महिला प्रत्याशी	विजेता
2009	442	51
2004	355	45
1999	284	49
1998	274	43
1996	599	40

महिलाओं को दिए टिकिट

राष्ट्रीय पार्टियां	**पुरुष**	**महिला**
बीजेपी	395	32
बीएसपी	355	29
सीपीआई	18	1
सीपीएम	23	2
कांग्रेस	422	51
आरजेडी	26	0
एनसीपी	18	2
कुल	4668	442

जेंडर पॉलिसी फोरम

आईएसएसटी और आईएचसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जेंडर पॉलिसी फोरम के 15 वें सत्र का आयोजन 15 मई 2009 को हुआ। यह आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर के कैजुरीना सभागार में हुआ। विषय था : 'स्टेट, मार्किट, फैमिली : द केयर रिजिम इन इंडिया।'
दिल्ली स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स की समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रजनी पालरीवाला प्रमुख वक्ता थीं। डॉक्टर एलिजाबेथ हिल, सिडनी युनिवर्सिटी और सुदेशना सेनगुप्ता, मोबाइल क्रेश ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी

लोकसभा सीट	**प्रत्याशी**
गौतम बुद्ध नगर (यूपी)	6
बुलंद शहर (यूपी)	6
महबूब नगर (एपी)	5
कोरबा(छत्तीसगढ़)	5
फरीदकोट(पंजाब)	5

राज्यवार प्रदर्शन

राज्य	सीट	सांसद	राज्य	सीट	सांसद
उत्तर प्रदेश	80	11	छत्तीसगढ़	11	2
पश्चिम बंगाल	42	8	हरियाणा	10	2
मध्य प्रदेश	29	5	कर्नाटक	28	1
बिहार	40	4	असम	14	1
आंध्र प्रदेश	42	3	दिल्ली	7	1
गुजरात	26	3	मेघालय	2	1
राजस्थान	25	3	महाराष्ट्र	48	11
पंजाब	13	3			

पार्टीवार महिला सांसद

पार्टी	सांसद
कांग्रेस	19
बीजेपी	11
तृणमूल कांग्रेस	5
बीएसपी	4
एसपी	3
जद(यू)	2
अकाली दल	2
एनसीपी	2
सीपीएम	1
आरएलडी	1
शिवसेना	1

(सभी आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से)

हम सूचना बांटना नहीं चाहते

बाल मुकुंद

जार्ज ऑरवेल की एक मशहूर किताब है 'द एनिमल फॉर्म।' इस किताब में पशुओं के एक बाड़े की कहानी है, जिसमें बाड़े के पशु अपने मालिक से विद्रोह कर बाड़े का प्रशासन अपने हाथों में ले लेते हैं। सबसे पहले सभी पशु मिलकर एक आम सभा करते हैं और उसमें बाड़े के प्रशासन के नियम–कानून तय करते हैं। पर धीरे–धीरे उस प्रशासन में सुअरों का एक गुट हावी होने लगता है, क्योंकि वे दूसरे पशुओं की तुलना में ज्यादा चालाक हैं।

आम सभा में यह तय किया गया था कि रोज सुबह बाड़े की सभी गायों से दूध इकट्ठा कर उसे मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा, जिसे बाद में सुअर सभी जानवरों में बराबर–बराबर बांट देंगे।' यह फैसला एक सूचना बोर्ड पर लिखकर टांग दिया जाता है, लेकिन सुअर एक रात चुपके से उसमें थोड़ा–सा फेरबदल कर देते हैं, जिससे उसका मतलब ही बदल जाता है। सूचना बोर्ड पर लिखी इबारतों में वे इस तरह से बदलाव करते हैं, 'रोज सुबह सभी गायों से दूध इकट्ठा कर मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा, जिसे पीने के बाद सुअर बचा हुआ दूध सभी जानवरों में बराबर–बराबर बांट देंगे।' बाड़े के बाकी पशुओं को फैसले के मुताबिक कुछ दिनों तक नियमित रूप से दूध मिलता है, लेकिन धीरे–धीरे

वह कम होता–होता बंद हो जाता है। सारा दूध बाड़े का प्रशासन चलाने वाले सुअर खुद पी जाते हैं। जब कोई जानवर एतराज करता है, तो वे बोर्ड पर लिखा फैसला दिखा देते हैं, क्योंकि तब तक किसी को याद नहीं रहता कि वास्तव में आम सभा में क्या फैसला लिया गया और कब लिया गया था।

सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रभाव में आने से आम लोग बेहद उत्साहित हुए थे। यह कानून हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कार्यालय से वहां से संबंधित जानकारी मांग सकता है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के दफ्तरों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी मुहैया करायें। यदि कोई नागरिक फाइलें देखना चाहता है तो उसे फाइलें दिखाई जायें और अगर कोई उनकी फोटोकॉपी चाहता है, तो उसे वे भी उपलब्ध कराई जाएं। ऐसा माना गया है कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों का सशक्तीकरण होगा। वे गड़बड़ियों पर निगाह रख पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे।

लेकिन प्रशासन पर हावी लोगों का गुट यह नहीं चाहता कि सामान्य जानकारियां भी आम लोगों तक पहुंचें, इसीलिए वह आरटीआई कानून के बावजूद इसे लोगों को मुहैया कराने में तरह–तरह की आनाकानी करता है। इसका ताजा उदाहरण शन्नो की मृत्यु के कारणों के बारे में नागरिकों द्वारा दो अस्पतालों से मांगी गई जानकारी है। यह जानकारी देने में दोनों अस्पतालों ने यथासंभव लीपापोती करने में अपनी पूरी योग्यता और नीयत का परिचय दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शन्नो की मौत उसके स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा दिए गए शारीरिक दंड की वजह से हुई थी।

असल में जनता को जानकारी मिलने से वह अधिकारियों–कर्मचारियों के अराजक व्यवहार और विवेक पर सवाल उठाती है। इससे सरकारी बाबुओं की स्वच्छंदता बाधित होती है। अधिकारी और कर्मचारी सूचनाओं का इस्तेमाल आम जनता पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए करते हैं। जानकारी को अपने आप तक सीमित रखकर वे जनता को दबा सकते हैं और 'एनिमल फॉर्म' के कर्ताधर्ताओं की तरह उसमें तोड़–मरोड़ कर सकते हैं। इसीलिए वे इस कानून की पकड़ में आने से बचने के लिए रोज नए बहाने ढूंढते हैं। इस कानून को जितनी तेजी से आम लोगों के दैनिक कारोबार का हिस्सा बनना चाहिए था, उतनी तेजी से नहीं बन पा रहा है। कुछ मुट्ठी भर जागरूक और जुझारू किस्म के लोग और स्वयंसेवी संस्थायें ही इसे कारगर तरीके से इस्तेमाल कर पा रही हैं।

आप किसी भी आम नागरिक की रोजाना की जिंदगी पर नजर डालें। जब हम किसी खराब, गड्ढों वाली सड़क से गुजरते हैं, तो हमें गड़बड़ी का पता होता है या नहीं ? लेकिन क्या किसी भी सड़क पर कहीं ऐसा कोई बोर्ड लगा देखा है, जिसमें विस्तार से लिखा हो कि वह सड़क किस साल किस ठेकेदार ने बनवाई, उसके लिए कितने पैसे लिए और उसके काम की निगरानी किस अधिकारी ने की? और अगर सड़क पर कभी कोई कमी नजर आए तो उसकी शिकायत कहां, किस अधिकारी से की जाए ? सड़क निर्माण इसका एक उदाहरण है। आमतौर पर अपने देश में किसी भी सरकारी महकमे द्वारा या उसकी देखरेख में बनाए गए किसी भी भवन, पुल या प्रतिष्ठान में इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती।

सड़क और इमारतों की जगह उन सरकारी दफ्तरों पर नजर डालें, जिनसे आम जनता का काम पड़ता हैं। वह बिजली, पानी, लायसेंस, पंजीकरण, अलॉटमेंट, एनओसी, टिकट, रिफंड, पेंशन या कोई सर्टिफिकिट लेने जैसा काम हो सकता है, लेकिन ऐसे दफ्तरों में बहुत कम जगहों पर आपको यह लिखा मिलेगा कि वहां का कोई कर्मचारी अगर दुर्व्यवहार करे या सहयोग न करे या सीट पर उपलब्ध नहीं हो तो आप कहां और किससे शिकायत करें। सरकारी और निजी क्षेत्र के जो कार्यालय सूचना और शिकायत के लिए अपने टेलिफोन नंबर और ई–मेल पता जारी करते हैं, उन पर संपर्क कीजिए 80 प्रतिशत मामलों में या तो नंबर और पते गलत निकलेंगे या उसे कोई अटेंड ही नहीं करेगा या आपकी बात का सही जवाब नहीं देगा।

गांवों और छोटे कस्बों की तो बात ही छोड़ दें, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में, जहां शिक्षा और नागरिक जागरूकता का स्तर कहीं ज्यादा है, आपको तमाम लोग सही जानकारी के अभाव में इधर–उधर धक्के खाते या ठगी का शिकार होते

मिलेंगे। यह सबको पता है कि बस अड्डा, रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, डीडीए और म्युनिसिपैलिटी जैसे ऑफिसों में आम जनता को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। लेकिन इन जगहों पर जनता की जानकारी के लिए कितने सूचना केंद्र और नोटिस बोर्ड होते हैं ? और अगर कहीं ये नोटिस बोर्ड मिलें, तो देखिए कि वे किस हाल में हैं। 'एनिमल फार्म' के सूचना पटों की तरह इन पर लिखी इबारतें खुरचकर मिटाने से लेकर उन पर पोस्टर चिपकाने और पान की पीक मारने तक सारा काम होता है। दफ्तर का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस बोर्ड के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आपको शायद ही किसी पार्किंग प्लेस पर लिखा मिले कि वहां का ठेकेदार कौन है, उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है और उसके अटेंडेंट या खुद ठेकेदार से कोई शिकायत होने पर आप कहां संपर्क कर सकते हैं। पार्किंग बॉयज के सीने पर नेम प्लेट होना तो दूर की बात है, यहां तो पुलिस, गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, काउंटर क्लर्क, बसों के ड्रायवर ,कंडक्टर और रेल्वे के टीटी तक नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं समझते और न इसके लिए उन्हें कभी दंडित होते सुना गया है।

यहां जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से किसी के लिए भी सूचना के अधिकार के कानून की जरूरत नहीं है। ये सब सामान्य दफ्तरी व्यवस्थायें हैं, लेकिन अपने देश में इसे लागू करने या इसकी पाबंदी पर जोर देने की कोई खास कोशिश नजर नहीं आती। नागरिकों के साथ सूचनाएं बांटने का काम सिर्फ कानून से नहीं हो सकता, यह एक संस्कृति है। हमारे प्रशासन में सूचना बांटने की संस्कृति ही नहीं है। इसीलिए कानून बनाकर अधिकार देने के साथ यह भी जरूरी है कि देश में सूचना देने की संस्कृति विकसित की जाए। हर महकमा खुद सोचे कि आम नागरिक उसके बारे में क्या–क्या जानना चाहेंगे। ऐसी जानकारी देने के मामले में वह पहल करे और ऐसी सहज व्यवस्था करे कि नागरिकों को वह जानकारी बिना अफसरशाही के जंजाल में फंसे हासिल हो जाए।

नवभारत टाइम्स से साभार

सांगानेर, राजस्थान के हस्तकला उद्योग पर आर्थिक संकटः मूल्यांकन अध्ययन

भारत के आर्थिक विकास में हस्तकला उद्योग की प्रमुख भूमिका है। आर्थिक दृष्टि से कम लागत में अधिक आमदनी, निर्यात की अधिक संभावनायें और विदेशी मुद्रा विनिमय में यह क्षेत्र हमारे देश में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

राजस्थान पारंपरिक कला और हस्त उद्योग का गढ़ है। राजस्थान में जयपुर से 16 कि.मी. दूर सांगानेर हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र है।

पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडमेड पेपर का उत्पादन सांगानेर में होता है। हाथ से बने इस पेपर से बैग, फोटो फ्रेम, डायरी, कार्ड्स, एलबम, स्टेशनरी आदि तैयार की जाती है। आज सांगानेर में पेपर उद्योग की 10 फैक्टरी हैं। कागजी समुदाय सदियों से चली आ रही पूर्वजों की इस कला को जीवित रखे हुए हैं।

भारतीय उद्योग की यह वृद्धि और विस्तार निर्यात पर आधारित है। आर्थिक मंदी के इस दौर में हस्तकला उद्योग के निर्यात में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2008–09 में निर्यात का बाजार घटकर 50 प्रतिशत रह गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट के अनुसार, 'अमेरिका और यूरोप में मांग की कमी के कारण हस्तकला उद्योग का निर्यात गिरा है।'

सांगानेर के हस्तकला उद्योग पर आर्थिक मंदी के असर को समझने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आईएसएसटी को यह काम सौंपा।

इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी आने के साथ ही धीरे–धीरे इसका असर निर्यात पर भी दिखाई देने लगा। इसे समझने के लिए मालिक और कारीगरों (जेंडर, जाति , ठेके और पीस रेट पर काम करने वाले) से बातचीत।

इस क्षेत्र में आए असर को समझने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से काम पर असर, नियुक्ति, रोजगार संबंधों का बदलता तरीका – नियमित रोजगार की जगह पर ठेके पर काम,

स्वरोजगार या अन्य तरह का काम, मजदूरी / काम की शर्तें, काम के घंटे, बर्खास्त / छंटनी / अनौपचारिक तरीके से कारीगरों को काम पर लेना आदि।

आर्थिक मंदी से प्रभावित मालिकों और कारीगरों का मूल्यांकन। केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों के लिए नीतिगत सुझाव देना और आर्थिक मंदी के कारण मालिक और कारीगरों पर पड़े गैर सामाजिक असर को कम करने की संभावनायें तलाशना। जुलाई 2009 में संभावित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और मंत्रालय की मीटिंग में चर्चा के लिए सुझाव देना।

अध्ययन में संबंधित मंत्रालयों से प्रकाशित सेकेंड्री डेटा का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आईएलओ को सौंप दी गई है।

घरेलू हिंसा को कम करने में लघु बचत योजना का प्रभाव : एक अध्ययन

ऐसे बहुत–से अध्ययन हैं, जिनसे देश भर में घरेलू हिंसा की पुष्टि होती है। महिलाओं में जागरूकता लाने और हिंसा में कमी लाने के लिए लघु बचत एक उपाय हो सकता है, ऐसा माना गया है। यदि महिलाओं की पहुंच लघु बचत योजना तक होती है और महिलायें इसका उपयोग उत्पादक गतिविधियों में करती हैं और घर की आमदनी में उनका कुछ योगदान होता है तो निश्चित ही घर में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इससे घरेलू हिंसा में कमी आएगी या फिर वे इसका मुकाबला कर पाएंगी।

अतः 1980 के दशक में मयराडा द्वारा लघु बचत और ऋण के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाये गए और इन समूहों को बैंकों से जोड़ा गया।

स्वयं सहायता समूह बनाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि समूह की मध्यस्थता में ऋण देने से जोखिम कम होता है। इस कर्ज को स्वरोजगार से जोड़ा गया। यह भी माना गया कि अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज मिलने से गरीबी कम होगी। कर्ज लेकर अपना काम शुरू करने वालों में महिलायें अधिक होंगी।

इस तरह अधिकांश जगहों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर लघु बचत योजना की शुरुआत की गयी। देश के दक्षिणी राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह हैं।

क्या लघु बचत से घरेलू हिंसा में कमी आई है और यदि घरेलू हिंसा कम हुई है तो किन परिस्थितियों में ? इसकी जांच–पड़ताल के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने आईएसएसटी को इस अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है।

वर्तमान नीति और योजना में लघु बचत और स्वयं सहायता समूह को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः उत्तर भारत के किसी राज्य को केंद्र में रखकर यह अध्ययन करना उपयोगी माना गया।

इस तरह हरियाणा में रिवाड़ी, झज्झर और अंबाला जिले का चुनाव अध्ययन के लिए किया गया। एक अनुमान से इस राज्य में लगभग 12000 स्वयं सहायता समूह हैं। राज्य में फैले 12000 स्वयं सहायता समूह में से अध्ययन के लिए कुछ सदस्यों को चुना गया। तीनों जिलों में स्वयं सहायता समूह की 202 महिला सदस्याओं से बातचीत की गई। सर्वे के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संवेदनशील मुद्दों को सामने लाने के लिए यह प्रश्नावली पर्याप्त नहीं थी। अतः इसके लिए तीनों अध्ययन क्षेत्रों में समूह चर्चा और विस्तृत बातचीत की गई। सर्वे से जुटाये गए तथ्यों के विश्लेषण का काम जारी है।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वाले लगभग 57,110 लोगों के बीच 'सेवा महिला ट्रस्ट' काम कर रहा है। सेवा महिला ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के बदलते परिवेश में इन लोगों की जीविका को सुरक्षित रखकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है।

अहमदाबाद शहर में इन पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक–आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम का कितना असर हुआ है, इसे समझने के

लिए सेवा महिला ट्रस्ट ने आईएसएसटी को बेसलाईन और एंडलाईन सर्वे का काम सौंपा है।

बस्ती विकास कार्यक्रम

आईएसएसटी पिछले 8 वर्षों से पूर्वी दिल्ली की तीन बस्तियों में काम कर रहा है। जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि विभिन्न गतिविधियां चलायी जाती हैं।

समूह चर्चायें

पिछले तीन माह के दौरान मित्रता और ईमानदारी विषय पर समूह चर्चायें आयोजित की गईं। इस चर्चा में आस–पास की बस्तियों के किशोर वय के लड़के–लड़कियों, कम्युनिटी सेंटर के समन्वयक, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 'मित्रता और सच्चा मित्र कौन है' इसका अर्थ बताते हुए चर्चा की शुरुआत युवावर्ग ने की। सही रास्ता बताने वाला ही सच्चा मित्र हो सकता है, इसके साथ ही यह चर्चा समाप्त हुई।

अगली समूह चर्चा का विषय था – ईमानदारी। 'ईमानदारी' को परिभाषित करते हुए बच्चों ने अपने विचार रखे। ईमानदारी से काम करने में बहुत–सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कितनी भी विषम परिस्थितियों में ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, इस संदेश के साथ इस चर्चा का समापन हुआ।

ग्रीष्म कालीन शिविर

हर वर्ष की तरह इस साल भी गर्मी की छुट्टियों में साथी केंद्र में लगभग एक माह का ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नृत्य, नाटक और मेहंदी की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में बच्चों ने बहुत रुचि और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

इन केंद्रों में चलने वाले नियमित कार्यक्रमों के अलावा आईएसएसटी के साथी केंद्र में जुलाई 2009 से नये कार्यक्रमों की शुरुआत हो।

नई पहल

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

कम्युनिटी कॉलेज वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग के युवक–युवतियों में इस तरह की योग्यता निर्माण करना जिससे वे स्थानीय उद्योग या कम्युनिटी में सार्थक रोजगार पा सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत एक नई पहल है।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जाने वाली इस योजना का शुभारंभ विज्ञान भवन, दिल्ली के सभागार में 4 जुलाई 2009 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत देश भर से लगभग 100 कम्युनिटी कॉलेजों का चयन किया गया। इनमें से आईएसएसटी भी एक है।
साधारणतः कम्युनिटी कॉलेजों में स्थानीय जरूरतों और राज्य की जरूरतों पर आधारित विभिन्न विषयों के दो वर्ष के पाठ्यक्रम हैं। कम्युनिटी कॉलेज से निकले छात्र आगे की पढ़ाई के लिए किसी स्नातक कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं या फिर किसी धंधे या व्यापार में जा सकते हैं।

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91–11–47682222